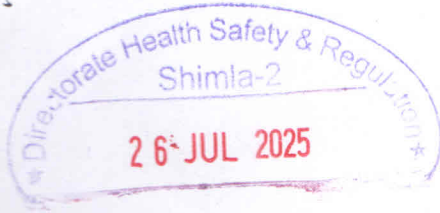
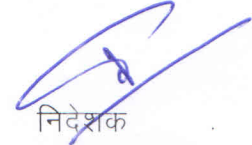


निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन हिमाचल प्रदेश
संख्या एच० एस० आर० एच०(सटोर)100/2012-III

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन हिमाचल प्रदेश जिला शिमला, (हि.प्र.) में पुराना रिकार्ड (फाईलें) जिसका वजन लगभग 700 कि० ग्र० है, को खुली नीलामी प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 12.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे नीलामी किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति उक्त सामग्री को देखने तथा नियम व शर्तें प्राप्त करने हेतु 07.08.2025 को कार्यालय में आ सकते हैं या दूरभाष नं० 0177-2621383 पर सम्पर्क कर सकते हैं।



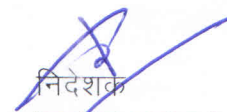


निदेशक
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश

पृ०संख्या: यथोपरि - 2488-89

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु :-

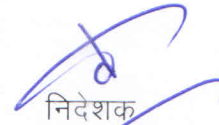
1. प्रेग्रामर, कार्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, को नीलामी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड, D.H.S.R. कार्यालय शिमला, जिला शिमला (हि.प्र.)।



निदेशक
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश

दिनांक 21.08.2025 को की जाने वाली नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. निष्प्रयोजित सामग्रीयां जैसी है, जहां है, के आधार पर उच्चतम दर पर बोली बोलने वाले आवेदक को विक्रय किया जाएगा। रिकॉर्ड (फाईलों) को उठाना, गाड़ी पर लादना, मजदूर एवं यातायात सम्बन्धी खर्चा बोलीदाता का ही होगा।
2. सभी बोलीदाताओं को खुली नीलामी बोली प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व 1,000/- (एक हजार रुपये) की राशि आवेदन शुल्क के रूप में जमा करवानी होगी। यह राशि केवल प्रक्रिया शुल्क है, जिसे प्रक्रिया पूर्ण होने पर वापिस कर दिया जाएगा।
3. नीलामी में सफल व्यक्ति को उसी समय बोली की शेष राशि एक ही किश्त में जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर अग्रिम धनराशि जब्त कर दूसरे नम्बर पर आने वाले बोलीदाता को सफल माना जाएगा। इस सम्बन्ध में नीलामी कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।
4. सफल बोलीदाता बोली की स्वीकृति के उपरान्त आवश्यक धन राशि जमा करके, तीन दिन के भीतर पुराना रिकॉर्ड परिसर से उठाने के लिए बाध्य होगा।
5. सभी फाईलों/दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए, फाईलों से नकल अथवा अन्य दुरुपयोग दंडनीय अपराध होगा।
6. निस्तारण का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार और पर्यावरण अनुकूल विधियों से होनी चाहिए।
7. खुली बोली मान्य होने के उपरान्त बोलीकार्ता को समस्त शर्तें माननी पड़ेगी। किसी भी स्थिति में विवाद पर अधोहस्ताक्षरी के निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।
8. सफल बोलीदाता विभाग द्वारा अधीकृत अधिकारी / समिती के सामने ही फाईलों को कतरन करेगा।



निदेशक
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश

क्रमांक संख्या: यथोपरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु :-

1. नोटिस बोर्ड, उपायुक्त कार्यालय शिमला, जिला शिमला (हि.प्र.)।



निदेशक
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश

प्रपत्र

क्र० सं०	विवरण
1	बोलीदाता का नाम
2	बोलीदाता का पता
3	टैलीफोन / मोबाईल नंबर
4	पैन की प्रति संलग्न करे/आधार काड की प्रति संलग्न करे (हां/नां)

मैं/हम परिषिष्ट - 'ग' में उल्लिखित सागग्रियां या पुराने रिकॉर्ड का निरिक्षण किया है/नहीं किया है और मैं/हम सामग्रियों या पुराना रिकॉर्ड जैसा है जहा है, के आधार पर खरीदने के इच्छुक है/है और मैं/हम खुली बोली निलामी निविदा दस्तावेज परिषिष्ट - 'क' में दिए गए नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ चुका हूं/चुके है और उनसे पूरी तरह से सहमत हूं/है।

बोलीदाता/आवेदन के हस्ताक्षर

क्र० सं०	वस्तुओं की सूची	मात्रा	मूल्य	स्थान
1	निष्प्रयोजय पुराना रिकॉर्ड	अनुमानित कि० ग्रा०	700	

निदेशक

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश